समाहरणालय, जमुई
(स्थापना शाखा)

पत्रांक– 244 /स्था0, दिनांक– 18/06/2019

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी, जमुई।

सेवा में,

सभी कार्यालय प्रधान,
जिला–जमुई।

विषयः– जमुई जिला के चालक एवं परिचारी संवर्ग को निर्धारित वर्दी (ड्रेस कोड) में कर्त्तव्य निर्वहन की अनिवार्यता को सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 4377/वि0 दिनांक 21.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 4377/वि0 दिनांक 21.05.2019 की छाया प्रति संलग्न करते हुए निदेशित करना है कि वित्त विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 1442 दिनांक 08.02.2000 के द्वारा चालक एवं परिचारी संवर्ग के लिये वर्दी (ड्रेस कोड) निर्धारित है। सप्तम केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प सं0 1172/वि0 दिनांक 15.02.2018 के द्वारा चालक/परिचारी संवर्ग के कर्मियों के लिये वर्दी/पोशाक की आपूर्त्ति के बदले वर्दी भत्ता के रूप में 5,000/–(पांच हजार) रूपये प्रति वर्ष नकद राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। परन्तु प्रायः ऐसा देखा जाता है कि उक्त कर्मियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो प्रशासनिक अनुशासनहीनता का द्योतक है।

अतः आदेश दिया जाता है कि अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों में सरकार द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित कराया जाय। जो कर्मी बिना वर्दी पहने आएँगे, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाये तथा भुगतान की गई वर्दी भत्ता की वसूली की जाये। नियमित तौर पर वर्दी का उपयोग करने वाले कर्मी को ही अगली तिथि को वर्दी भत्ता का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। उक्त आदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करते हुए पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन स्थापना उप समाहर्त्ता, जमुई को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

18/06/19

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

ज्ञापांक 244 /स्था0, दिनांक 18/06/2019

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं जमुई जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

18/06/19

जिला पदाधिकारी,
जमुई।